

**बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड,
महेश भवन, गांधी मैदान (पूरब) पटना
कार्यालय आदेश**

संचिका सं०-खा०/पुर्न०/235/2016-17

उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या-606 दिनांक-20.02.2017 द्वारा खादी पुर्नरूद्धार योजनान्तर्गत बिहार में स्थित खादी संस्था/समितियों को स्थिर पूँजी (Fixed Capital) की सुदृकीकरण हेतु चरखा के अतिरिक्त करघा उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

02. करघा क्रय के पूर्व प्रथम किस्त में करघा की कीमत का 50% राशि भुगतान किया गया है। करघा क्रय के उपरान्त करघा की कीमत का 10% राशि मार्जिन मनी के रूप में कटौती कर शेष 40% राशि उक्त संकल्प के निम्नलिखित संस्था/समितियों जिनके द्वारा करघा क्रय कर ली गई है को निम्न प्रकार रू०-1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है -

क्र०	संस्था/समिति का नाम एवं पता	उपलब्ध कराये गये त्रिपुरारि मॉडल चरखा की संख्या	उपलब्ध कराये गये करघा की संख्या	संकल्प के कंडिका 11 में उल्लेखित शर्त के अनुसार प्रति करघा की निर्धारित कीमत	करघा की कुल कीमत (रू० में)	पूर्व में करघा की कीमत का भुगतान कराये गये 50% राशि	संकल्प के कंडिका 07 में उल्लेखित शर्त के अनुसार स्वीकृत/भुगतान राशि कीमत का 40% राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मकरन्दा भंडारिसौं ग्रामोदय सहयोग समिति लि०, पो०-भंडारिसौं गंज, नाया-मनीगाछी, जिला-दरभंगा	50	10	30,000/-	3,00,000/-	1,50,000/-	1,20,000/-
2	उग्र नारायण खादी ग्रामोदय आश्रम, ग्राम-मकरन्दा, पो०-मनीगाछी, जिला-दरभंगा	25	5	30,000/-	1,50,000/-	75,000/-	60,000/-
							1,80,000/-

03. उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान खादी पुर्नरूद्धार योजना मद में प्राप्त राशि से की जायेगी।

04. संस्था/समिति के अध्यक्ष/मंत्री को निदेश है कि संकल्प ज्ञापांक संख्या-606 दिनांक-20.02.2017 के कंडिका 02 एवं 03 में दिये गये शर्तों के अनुसार ही करघा क्रय किया होना चाहिए।

05. करघा कीमत की 40% राशि खादी संस्था/समितियों के बैंक खाते में सीधे NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान विहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जायेगा। उक्त राशि संबंधित जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी, विहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा समर्पित करघा के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर किया जा रहा है।

06. खादी संस्था/समितियों की जिम्मेवारी होगी कि उनके द्वारा क्रय किये गये करघा का संचालन एवं तकनीकी जानकारी अपने स्तर से आपूर्तिकर्ता से प्राप्त करेंगे।

07. करघा के क्रय स्थापना एवं संचालन से संबंधित सूचना खादी संस्थाओं द्वारा विहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

366)

ज्ञापांक- 25/09/18 पटना, दिनांक- 25/09/2018
प्रतिलिपि :- उपर्युक्त सभी संस्था/समिति के अध्यक्ष/मंत्री को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- 25/09/18 पटना, दिनांक- 25/09/2018
प्रतिलिपि :- राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भेटनरी कॉलेज, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- 25/09/18 पटना, दिनांक- 25/09/2018
प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक लेखा पदाधिकारी (प्र०)/सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुर्नरुद्धार योजना सह अंकेक्षण)/प्रभारी सहायक (खादी पुर्नरुद्धार योजना)/निजी संचिका एवं गार्ड संचिका को आवश्यकतार्थ प्रेषित।

02. सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुर्नरुद्धार योजना सह अंकेक्षण) को निदेश है कि करघा आवंटित किये गये संस्था/समिति के खाते में स्वीकृत राशि को RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान करना सुनिश्चित करें।

ज्ञापांक- 25/09/18 पटना, दिनांक- 25/09/2018
प्रतिलिपि :- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- 25/09/18 पटना, दिनांक- 25/09/2018
प्रतिलिपि :- जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी, विहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला कार्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- 25/09/18 पटना, दिनांक- 25/09/2018
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, विहार, पटना के सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

21/08/2018

23/8/18